रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2015/श्रावण 7, 1937
No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2015/SHRAVANA 7, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 594(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन, पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.26) को विस्तारित करती है, जैसाकि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, अर्थात्:—

आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011" शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के बाद "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
2. धारा 2 का लोप किया जाएगा।
3. धारा 4 का लोप किया जाएगा।
4. धारा 6 का लोप किया जाएगा।

अनुलग्नक

पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011

(वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.26)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 6 में संशोधन.—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (यहां इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में, धारा 6 में, उप-धारा 6 के बाद निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी अर्थात्:—

"(7) उप-धारा (1) से उप-धारा (6) तक में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जाए तथा अधिसूचित की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर ऐसी दरों पर, जो अधिसूचित की जाएं, किंतु जो अधिनियम के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों से अधिक न हों, अग्रिम रूप में कर वसूल करेगी।

परंतु यह कि ऐसी वस्तुएं बिक्री के लिए या बिक्री के लिए किसी वस्तु के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के निमित्त हों;

परंतु आगे यह भी कि अग्रिम रूप में संग्रहित ऐसे कर की गणना प्रत्येक कर अवधि के अंत में कर योग्य व्यक्ति की अंतिम देनदारी के रूप में की जाएगी।

(8) स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश संबंधी पंजाब कर अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का पंजाब अधिनियम सं.9) के अंतर्गत संग्रहित कर उप-धारा (7) के प्रावधानों के अधीन संग्रहीत माना जाएगा।"

3. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 8 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 8 में, उप-धारा (1) में, परंतुक में, "चार प्रतिशत या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 13 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 13 में, उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(1-क) धारा 6 की उप-धारा (7) के अंतर्गत अग्रिम रूप में संग्रहीत कर को, इन्पुट कर क्रेडिट के रूप में माना जाएगा"।

5. **वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 62 में संशोधन.**—मूल अधिनियम में, धारा 62 में, उप-धारा (5) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"(5) किसी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी अपील के साथ अतिरिक्त मांग, शास्ति एवं ब्याज, यदि कोई हो, की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत के पूर्व न्यूनतम भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "अतिरिक्त मांग" से कोई ऐसा कर अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.74) के किन्हीं उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप अधिरोपित किया गया हो।"

6. **निरसन एवं बचत.**—(1) पंजाब 'मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अध्यादेश सं.9) और पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अध्यादेश सं. 10) को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, मूल अधिनियम, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित, के अंतर्गत किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई को मूल अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

[फा. सं. यू 11020/5/2014-यू टी एल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2011 (Punjab Act No.26 of 2011), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of section 1, after the words, brackets and figures "the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2011, the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.
2. Section 2 shall be omitted.
3. Section 4 shall be omitted.
4. Section 6 shall be omitted.